भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 36 आर ई - 2010) /2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 2011

विषयः- प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या 24 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 18.02.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं0 34 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 16.03.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है । यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. (क) अधिसूचना संख्या 24 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 18.02.2011 की क्रम सं0 44.01 पर मद विवरण के लिए अधिसूचना सं0 34 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 16.03.2011 के पैरा 2 में आने वाले "प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 275 अमरीकी डॉलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय - समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित" वाक्यांश को "प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 225 अमरीकी डॉलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित" वाक्यांश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ख) क्रम सं. 44.02 पर मद विवरण के लिए अधिसूचना सं0 24 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 18.02.2011 के पैरा 2 में आने वाले "प्रति मीट्रिक टन 1400 अमरीकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित" वाक्यांश को "प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 600 अमरीकी डॉलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित" वाक्यांश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :

(i) बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज के अलावा प्याजों का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 225 अमरीकी डॉलर होगा। यह 16.03.2011 को यथाअधिसूचित 275 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था।

(ii) बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 600 अमरीकी डॉलर होगा। 18.02.2011 को यथा अधिसूचित यह 1400 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/ए एम'08/पीसी 3/एक्सपोर्ट सेल से जारी)